

कार्यालय जापन

दिनांक

१/१२/२०२०

विषय- संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में।

गृह सचिव, भारत सरकार की दिनांक 27.11.2020 के कार्यालय जापन सं. 11020/03/2020-रा.भा./सभिति की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय जापन के साथ संलग्न है। उपर्युक्त का.जा. द्वारा गृह सचिव, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के नियंत्रणधीन समस्त कार्यालयों को निदेश दिए हैं कि मंत्रालय के साथ किया जानेवाला समस्त पत्राचार केवल हिंदी में ही किया जाए।

2. अतः महानिदेशालय, भा. ति. सी. पु. के समस्त अनुभागों/शाखाओं व बल की समस्त फारमेशनों को निदेशित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकधिक प्रयोग करें व गृह मंत्रालय से किया जाने वाला पत्राचार अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में ही करें।

संलग्न- यथोक्त

उप महानिरीक्षक (संगठन)
महानिदेशालय, भा. ति. सी. पु.

सेवा में,

1. बल की समस्त फारमेशनों को कृपया अनुपालनार्थ।

2. समस्त अनुभाग/ शाखाएं, महानिदेशालय, भा. ति. सी. पु. बल।

3. गाइ नावल, रॉल भाषा श्रुतु बाण, महानिदेशालय।


प्रतिलिपि:-

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को कृपया सूचनाार्थ।

उप महानिरीक्षक (संगठन)
महानिदेशालय, भा. ति. सी. पु.

सं.नि. (सं.सं.)	
DIG (C.R.O.)	
सं.नि. (सं.सं.)	
Command (S.S.)	
सं. नि. (सं.सं.)	
By Command (O.I. (S.S.))	
सं. नि. (सं.सं.)	


सं.11020/03/2020-रा.भा./समिति
भारत सरकार
गृह मंत्रालय



नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: १२ नवंबर, 2020

सं.नि. (सं.सं.)
448
सं.नि. (सं.सं.)
P.O. T.T.

कार्यालय-ज्ञापन



संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की जांच के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर भारत सरकार वे मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंक उपायमो/स्वायत्तशासी निकायों/प्रशिक्षण संस्थानों आदि का राजभाषा संयोजन निरीक्षण किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति के पहली उपायमो द्वारा गृह मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में, दिनांक 23.11.2020 को इस समिति द्वारा गृह मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। इसके उपरान्त समिति ने कहा है कि यदि मंत्रालय से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में नहीं किया जाएगा तो वे कार्यालय भी अपना शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में नहीं कर पाएंगे। अतः इस दिशा में मंत्रालय द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के आलोक में, गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय से समस्त पत्राचार केवल हिंदी में करने का प्रयास करें। साथ ही, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों और प्रभगाध्यक्षों को भी निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के साथ शत-प्रतिशत पत्राचार स्वयं मूल रूप से हिंदी में ही करने का गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।

(अजय कुमार भल्ला)
गृह सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. गृह मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख।
2. गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी/प्रभगाध्यक्ष।

प्रतिलिपि सूचनार्थ : सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।



राजभाषा
सं.नि. (सं.सं.)
सं.नि. (सं.सं.)
सं.नि. (सं.सं.)
सं.नि. (सं.सं.)